अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः— पीएस/टीसी/2021/71 जयपुर, दिनांकः— 02.05.2021

कार्यालय—आदेश

शासन सचिव, चिकित्सा विभाग के आदेश क्रमांक एफ—86/ऑ.सी.आर./2021 दिनांक 02.05.2021 के द्वारा कोविड—19 के बढ़ते संक्रमण के मध्यनजर ऑक्सीजन आपूर्ति व्यवस्था अनवरत बनाए रखने हेतु, राज्य को लिक्विड ऑक्सीजन परिवहन टैंकर की अति आवश्यकता होने से, देश के विभिन्न राज्यों में स्थित विभिन्न औद्योगिक संस्थानों, टैंकर आपूर्तिकर्ताओं या अन्य संस्थाएं जो लिक्विड ऑक्सीजन परिवहन हेतु टैंकर किराये पर उपलब्ध करा सकती है, से टैंकर किराये पर लिये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है।

विभिन्न संस्थानों से टैंकर किराये पर लिये जाने के प्रस्ताव प्राप्त होने/लिए जाने पर आयुक्त परिवहन विभाग द्वारा एक विभागीय समिति का गठन किया जाकर, रोगियों की जान बचाने की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए, प्रति टैंकर प्रति कि.मी. युक्तियुक्त दरों का निर्धारण कर, दरें अनुमोदित की जाकर, टैंकर प्रदायकर्ता फर्म को Letter of Acceptance (LoA) जारी किये जाने के निर्देश दिये गये है।

चिकित्सा विभाग के आदेश क्रमांक एफ—86/ऑ.सी.आर./2021 दिनांक 02.05.2021 के द्वारा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन परिवहन की दरों को तय करने के लिये परिवहन विभाग द्वारा एक कमेटी का गठन करने के निर्देश के क्रम में निम्नानुसार कमेटी का गठन किया जाता हैः—

1. श्री राकेश शर्मा, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जयपुर (9829180005)—संयोजक
2. श्री आदित्य पारीक, वित्तीय सलाहकार (9928139551)
3. श्री विनोद कुमार, संयुक्त परिवहन आयुक्त, एस.डी.आर.आई. (9414037212)
4. श्री भंवरलाल, संयुक्त परिवहन आयुक्त (9414412520)
5. श्री आर.के. चौधरी, डी.टी.ओ. प्रर्वतन जयपुर (9414211967)
6. श्री मनोज गर्वा, उप वित्तीय सलाहकार, परिवहन विभाग (9414408200)—सदस्य सचिव

लिक्विड ऑक्सीजन परिवहन टैंकर आपूर्तिकर्ता अपने प्रस्ताव transport@rajasthan.gov.in एवं संयोजक श्री राकेश शर्मा के whatsapp no. 9829180005 पर प्रस्ताव भेज सकते है। प्राप्त प्रस्ताव पर कमेटी उसी दिन विचार कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेंगी।

साथ ही उसी दिन स्वीकृत आपूर्तिकर्ता को Letter of Acceptance (LoA) जारी करेगी एवं टैंकर आपूर्तिकर्ता को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को अपनी सेवाएं अविलम्ब देने के लिए निर्देशित करेगी।

(महेन्द्र सोनी)
परिवहन आयुक्त

प्रतिलिपिः—

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, वित/चिकित्सा एवं स्वा. एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
5. शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. शासन सचिव, चिकित्सा स्वा. एवं परि. कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. शासन सचिव उद्योग विभाग एवं चेयरमैन ऑक्सीजन प्रबंधन समिति राजस्थान।
8. निजी सचिव, आयुक्त परिवहन विभाग जयपुर।
9. मिशन निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
10. प्रबंध निदेशक, आएमएससीएल, जयपुर।
11. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
12. संबंधित समिति सदस्य, परिवहन विभाग, जयपुर।
13. समस्त आरटीओ/डीटीओ।
14. समस्त ऑक्सीजन गैस एजेन्सीज राजस्थान।
15. रक्षित पत्रावली।

परिवहन आयुक्त